

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2022/4098	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/8/2022	<p style="text-align: center;">S.O</p> <p style="text-align: center;"><u>श्री राजपाल राव, जज</u></p> <p>अब निगरानी अर्थात् धारा 230 सम्बन्धित धारा 221 राजस्थान मास्टमारी अर्थात् विधम 1955 विरुद्ध अर्थात् दिनांक 18/7/22 के प्रत्युत्तर की गई है।</p> <p>निगरानी के सम्बन्धित एच एच प्रकृति है कि वानी। नोन्पीपीराना नए विचारण न्यायालय के समक्ष गए के साथ धारा 212 अर्थात् विवेक का प्रत्युत्तर विम जो विचारण का विवाद 7/7/2021 को प्रत्युत्तर विवेकता परित्त मारे हुए दिनांक 15/7/2021 को वानी लपनी हेतु की सम्बन्धित दिनांक 27/6/2022 को विचारण न्यायालय का प्रकृति परित्त अर्थात् दिनांक 7/7/2021 की लशीधन मारे हुए निजीगानी की अनुमति की प्रकृति मारे की अनुमति प्राप्त मारे हुए शी अर्थात् की सम्बन्धित एच एच अर्थात् के विरुद्ध अनुमतिगानी का राजत अर्थात् विवेक वानी के समक्ष राजस्थान मास्टमारी विवेक की धारा 225 के एच अर्थात् प्रत्युत्तर मारे जो एच एच मारे हुए अनुमति की प्रकृति विचारण न्यायालय के अर्थात् दिनांक 27/6/2022</p>	

✓

तारीख हुक्म	2022/4098 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजपट्टन/मिठासदान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p> कीयासदा स्थानिक मारे हुए विवाहग्रह आराम के कारण विनाडे व मीने की अवाधितता बनाए रखते बावत पावतद भिया। उक्त आदेशों लखित होने पर निम्नलिखित आदेश के अन्तर्गत की गई हैं। </p> <p> आदेश 1. आदेश की नया आदेश के पक्ष व स्थानिक आदेश सुनी गई। </p> <p> आदेश 2. आदेश बावत निम्नलिखित भिया कि अतीत न्यायालय का आदेश को अतिरिक्त से ही जज अतीतवादी व निम्नलिखित भिया हैं अन्तर्गत निम्न के अन्तर्गत हीने के अन्तर्गत विवाह न्यायालय का से विधि निरन्तर निम्नलिखित भिया हैं अन्तः हीने न्यायालय का निम्नलिखित/अतीत निम्नलिखित </p> <p> 18/7/2022 व 27/4/2022 निरन्तर मारे हुए निम्नलिखित निम्नलिखित की जाते। </p> <p> अन्तर्गत का अन्तर्गत मारे भिया आदेश नया पर अन्तर्गत भिया आदेश। </p> <p> अन्तर्गत न्यायालय का अन्तर्गत मारे 212 अन्तर्गत 1955 पर अन्तर्गत की अन्तर्गत CPC के order 33 Rule 3A के अन्तर्गत पर मारे से अन्तर्गत मारे निम्नलिखित मारे अन्तर्गत पर मारे भिया मारे निम्नलिखित अन्तर्गत </p>	

दा -

(Signature)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

AAP-A
Crim-I

अज अदालत

मुकाम

सिजयान

बनाम

मिनासदान

किस मुकदमा

नं.


4098

सन्

2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अजमेर राजस्व अमील जजिमरी, वासी हारा अमेर अमील की पालना करीब मते हुए मिनासदान अजमेर के राजस्व विभाग व मीने की चर्चा करते अजमेर विभाग विभाग एक बतानी रखी जाने के अंदर पाके हुए प्रमाण की परिकल्पना की मध्य मय राबते हुए प्रमाण का अन्तिम निराला विभाग न्यायालय के समक्ष देना है अतः मिनासदान विभाग की अजमेर राजस्व अमील जजिमरी, वासी हारा अजमेर विभाग विभाग 18/7/2022 व विभाग न्यायालय हारा पाके अंदर विभाग 27/6/2022 निराला मते हुए प्रमाण निराला के साथ विभाग न्यायालय की अज्ञात जाता है कि अजमेर की प्रमाण की अजमेर 212 मय 1955 पर प्रमाण निराला पाके मते जब एक अजमेर राजस्व</p>	

[Handwritten signature]

<p>तारीख हुका</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
	<p>रिपोर्ट व प्रॉसेक्यूटिओन की प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए न्यायपालिका द्वारा 212 राजपत्रानुसार जारी की गई 1955 में पत्र माला में निर्णय जारी किया गया पर माला अपील करने के निमित्त निम्नलिखित समझौता जवाब पत्रावली का कोपी तैयार करके रखा गया है।</p> <p>अपील करी इजलास मुंबई में</p> <p style="text-align: right;">  राजस्व मंडल राजस्थान जयपुर </p>	